

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्र. १ धारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 291] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 1975/श्रावण 13, 1897
No. 291] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 1975/SRAVANA 13, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDA

INCOME-TAX

New Delhi, the 4th August, 1975

S.O. 414(E).—In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S.O. 615(E), dated the 17th October, 1974, published at pages 2141 and 2142 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (ii), dated the 17th October, 1974,—

- (1) at page 2141,—
 - (i) in line 4, for "17th October 1974", read "17th October, 1974";
 - (ii) in line 22, for "101.—", read "101,—";
- (2) at page 2142,—
 - (i) in line 7, for "banks", read "bank";
 - (ii) in line 9, for "bank being", read "bank, being";
 - (iii) in line 10, for "Reserve Bank of India, 1934", read "Reserve Bank of India Act, 1934";
 - (iv) in line 11, for "following", read "following,";
 - (v) in line 12,—
 - (a) for "In" read "in";
 - (b) for "sections", read "section";

- (vi) in line 15, for "In", read "in";
- (vii) in line 19, for "moneys:", read "moneys";
- (viii) in line 26, for "matter", read "manner";
- (ix) in line 28, for "year.", read "year.";
- (x) in line 38, for "invesstible", read "investible".

[No. 1019/F. No. 142(6)/71-TPL]

O. P. BHARDWAJ,

Secretary, Central Board of Direct Taxes.

वित्त मंत्रालय**(राजस्व और बीमा विभाग)****शुद्धि-पत्र**

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1975

का० घा० 415 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (II), दिनांक 17 अक्तूबर, 1974 के पृष्ठ 2143 से 2145 तक प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिमूचना संख्या का० घा० 615(अ) में निम्नलिखित संशोधन किये जायें :—

1. पृष्ठ 2143 पर पैराग्राफ 2 (67) की आठवीं पंक्ति में 'धनों' के स्थान पर 'धन' पढ़ा जाय।
2. इसी पृष्ठ के पैराग्राफ 2 (67) (II) की पाँचवीं पंक्ति में (1970 का 5) के बाद " , " चिन्ह हटा दिया जाय तथा 'जो' के स्थान पर 'की' पढ़ा जाय।
3. इसी पृष्ठ की अन्तिम पंक्ति में 'बक' के स्थान पर 'बैंक' पढ़ा जाय।
4. पृष्ठ 2144 की प्रथम पंक्ति में 'बक' के स्थान पर 'बैंक' पढ़ा जाय।
5. पृष्ठ 2145 के पैराग्राफ 4 (101) की तीसरी पंक्ति में 'प्रोद्भूत समस्त' के बाद और 'भारत' में पूर्व 'धन' जोड़ दिया जाय।
6. इसी पैराग्राफ की दसवीं पंक्ति में 'से' के स्थान पर 'में' पढ़ा जाय।
7. इसी पृष्ठ की अन्तिम पंक्ति के नीचे 'केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड' जोड़ दिया जाय।

[सं० 1020/का० सं० 142(6)/71-टी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड।